न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 20/2015

श्री जयकिशन पुत्र श्री रामपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सल्लारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामलाल पुत्र श्री घीसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. आवंटन सलाहकार समिति केकड़ी जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी।

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– **1.** श्री अजीत सिंह राठौड़, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 30.03.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 17.01.2013 को ग्राम पंचायत मुख्यालय सलारी में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा श्री रामलाल पुत्र श्री घीसा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सलारी के पक्ष में ग्राम सलारी के आराजी खसरा नम्बर 1667 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित भूमि के आसपास उनके खातेदारी की कोई भूमि अवस्थित नहीं है जबकि

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की खातेदारी एवं पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की खसरा नम्बर 1669, 1662, 1668 व 1669/2460 के मध्य विवादित भूमि उपस्थित है तथा उक्त भूमि का रकबा मात्र डेढ़ बीघा होने से उक्त भूमि प्रार्थी के पक्ष में छोटी पट्टी के रूप में नियमन की जानी चाहिये थी। सलाहकार समिति द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर पूर्ण रूप से कब्जे बाबत् जांच किए बिना अप्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन कर दिया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार केकड़ी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि विवादित भूमि पर उनका पिछले 50 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आंवटन निरस्त किया जावे। तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा पटवारी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा होना स्पष्ट है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन से पूर्व नियम 5 के तहत जांच किए बिना आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तलब की गई रिपोर्ट के बावजूद आवंटन निरस्त नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का से दिनांक 12.06.2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार भी विवादित भूमि पर प्रार्थी का पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त पाया गया है लेकिन बिना जांच व उदघोषणा नियमानुसार जारी किए आवंटन आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी आज भी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आवंटन आदेश के दो वर्ष पश्चात् भी आवंटी द्वारा कोई काश्त नहीं की गई है। उन्होंने अन्त में कथन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में छोटी पट्टी के रूप में विवादित भूमि का नियमन किए जाने हेतु आवंटन सलाहकार समिति को निर्देशित किया जावे।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में समस्त गलत तथ्य अंकित किए गये है। अप्रार्थी के पक्ष में विधिवत रूप से एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया अपना कर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। उनका कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वरवक्त आवंटन अप्रार्थी के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों के पक्ष में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया है, विवादित भूमि से प्रार्थी का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है तथा न ही विवादित भूमि के आसपास उनकी खातेदारी की कृषि भूमियां है। छोटी पट्टी के रूप में प्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन नियमित रूप से कब्जे काश्त के आधार पर किया गया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार उद्घोषणा जारी कर नियम 5 के तहत जांच

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

करने के पश्चात् अप्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन किया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रार्थी के कथनानुसार विवादित भूमि के समीप उनकी खातेदारी कृषि भूमि होने के कारण अप्रार्थी के पक्ष में भूमि का आवंटन गलत किया गया है जबकि आवंटन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि के आसपास उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भूमि आवंटन नहीं की जा सकती। विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व एवं वरवक्त आवंटन तथा आवंटन पश्चात् अप्रार्थी नियमित रूप से आवंटनशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जो जमाबंदी संवत् 2069–72 से स्पष्ट है जिसमें अप्रार्थी नामान्तरकरण संख्या 963 दिनांक 16.09.2013 के आधार पर गैर खातेदार काश्तकार अंकित चला आ रहा है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी सद्भाविक भूमिहीन काश्तकार है जिसके पक्ष में नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चे के निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। विवादित भूमि के आंवटन में किसी भी प्रकार से अनियमितता उजागर नहीं हुई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जहां तक विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमियों के मध्य स्थित होने तथा विवादित भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त का प्रश्न है। इस संबंध में तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं विवादित भूमि की मौके पर जांच करें तथा प्रकरण नियम 14(4) के अन्तर्गत आता हो तो स्वयं के स्तर पर तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner